# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
# पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 173/2016 एल.आर.एक्ट

1. प्रहलाद पुत्र स्व.श्री नन्दलाल मतड़ जाति ब्राहमण निवासी नाल बड़ी तहसील व जिला बीकानेर ।

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व)बीकानेर ।

रस्पोन्डेंट

उपस्थितः 1– श्री तेजकरण गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

## निर्णय

दिनांक 9.1.2019

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रथम अपील सं0 27/2016 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 17.10.16, जिसके द्वारा तहसीलदार, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.5.16 यथावत रखते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज की गयी, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नाल बड़ी तहसील बीकानेर के खसरा नं0 960 की 2.72 हैक्टेयर कृषि भूमि श्री नन्दलाल पुत्र गणेशाराम जाति ब्राहमण के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । स्व.नंदलाल ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 26.6.2008 को अपने पुत्र अपीलान्ट प्रहलाद के नाम से निष्पादित करवादी, जो कि नोटेरी से तस्दीक करवाई है। वसीयत कर्ता नन्दलाल पुत्र गणेशाराम का दिनांक 18.12.12 को देहान्त हो जाने पर वसीयत गृहिता प्रहलाद पुत्र स्व. नन्दलाल ने तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर के समक्ष दिनांक 20.4.16 को राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके पिता श्री नंदलाल का दिनांक 18.12.12 को बमुकाम ग्राम नालबड़ी में देहान्त हो चुका है । उनकी मृत्युके पश्चात उनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 26.6.08 प्रभाव में आ चुका है, अतः मुताबिक वसीयतनामा प्रार्थी प्रहलाद के नाम से वसीयति नामान्तरकरण दर्ज किया जावे । प्रार्थी अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बीकानेर द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर आपत्ति बाबत दैनिक समाचार पत्र में आम सूचना का प्रकाशन करवाया गया तथा पटवारी हल्का नालबड़ी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी । वसीयत गृहिता एवं वसीयत के गवाह दाउलाल पुत्र बद्रीप्रसाद के बयान लिये जाकर तहसीलदार बीकानेर द्वारा दिनांक 31.5.16 को निर्णय पारित किया कि मृतक खातेदार श्री नंदलाल को वर्णित कृषि भूमि विरास्तन से प्राप्त हुई है, इसलिए उसे वसीयत निष्पादित करने का अधिकार नहीं है । उक्त आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.4.16 निरस्त कर दिया गया तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

I. अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 एवम् रिपोर्ट पटवारी अनुसार ग्राम नाल बड़ी के खसरा नं0 960 का रकबा 2.72 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट के पिता नन्दलाल पुत्र गणेशाराम जाति ब्राहमण के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । नन्दलाल ने अपने जीवनकाल में दिनांक 26.6.2008 को अपने पुत्र अपीलार्थी प्रहलाद के नाम से वसीयत का निष्पादन कर नोटेरी से तस्दीक करवा लिया । वसीयतकर्ता नन्दलाल का दिनांक 18.12.2012 को देहान्त हो जाने पर अपीलार्थी प्रहलाद पुत्र स्व. नन्दलाल (वसीयत गृहिता) द्वारा तहसीलदार, बीकानेर के समक्ष दिनांक 20.4.16 को वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

II. तहसीलदार बीकानेर के समक्ष वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, बीकानेर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की गयी, जिसमें पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गयी है कि '' ग्राम नाल बड़ी के खसरा नं. 960 रकबा 2.72 हैक्टेयर जो वसीयत में प्रहलाद पुत्र स्व. नंदलाल के हक में की गई । यह भूमि पैतृक से मिली है ''।

III. तहसीलदार बीकानेर द्वारा वसीयत की सरसरी जांच में दैनिक समाचार पत्र दिनांक 23.4.16 में आम सूचना प्रकाशित कर आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय दिया गया, किन्तु तहसीलदार के समक्ष वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई । प्रकरण में तहसीलदार, बीकानेर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 19.5.16 एवं वसीयत के गवाहों के लिये गये बयान एवम् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर निर्णय दिनांक 31.5.16 पारित कर वसीयत में वर्णित भूमि को पैतृक मानते हुए अपीलार्थी प्रहलाद पुत्र स्व. नंदलाल का वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.4.16 खारिज कर दिया तथा मृतक खातेदार के वारिसों की पुष्टि कर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया ।

7. प्रकरण में तहसीलदार, बीकानेर के निर्णय दिनांक 31.5.16 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड न्यायालय बीकानेर में प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील सं0 27/2016 को उपखण्ड न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है कि ''वसीयत नियमों के अनुसार स्वयं के द्वारा अर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत हो सकती है, विरास्तन के द्वारा प्राप्त सम्पत्ति की वसीयत नहीं कर सकता है ''। इस सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि ग्राम नाल बड़ी तहसील बीकानेर के खसरा नं0 960 की 2.72 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलान्ट के दादा गणेशाराम पुत्र आज्ञाराम की तन्हा खातेदारी कृषि भूमि रही है । अपीलान्ट के दादा गणेशाराम का देहान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभाव में आने के पश्चात हुआ इस कारण अपीलान्ट के पिता को वादगत भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत विरास्तन में प्राप्त होने से आराजी जैर अपीलान्ट के पिता की निजी सम्पत्ति (Individual Property) थी, जिन्हें वसीयत करने का विधिक रुप से अधिकार था ।

8. न्यायालय के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 में वसीयत के सम्बन्ध में निम्नप्रकार से प्रावधान दिया गया है :–

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Bequest- A khatedar tenant may by will bequeath his interest in the holding of part thereof in accordance with the personal law to which he is subject.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार एक खातेदार काश्तकार अपने हित की भूमि की वसीयत कर सकता है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार में स्व अर्जित सम्पत्ति (Self acquired property ) की परिभाषा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी नजीर 2016(3) सिविल कोर्ट केसेज पेज 610 में निम्न प्रकार दी गयी है :–

Hindu Succession Act,1956, S.6- Hindu Undivided Family- Inheritance of ancestral properties after passing of Hindu Succession Act,1956 does not result in property held as HUF property- Property inherited after 1956 is inherited as self acquired property.

9. अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 अनुसार ग्राम नाल बड़ी तहसील बीकानेर के खसरा नं0 960 की 2.72 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता श्री नन्दलाल पुत्र गणेशाराम जाति ब्राहमण के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जो अपीलान्ट के पिता की निजी सम्पत्ति (Individual Property) थी। अपीलान्ट के स्वर्गीय पिता नंदलाल द्वारा अपने हिस्से में आयी खातेदारी भूमि की वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित की गयी है । अपीलान्ट के पिता का दिनांक 18.12.12 को देहावसान हो जाने पर अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार बीकानेर के समक्ष वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर वसीयत की सरसरी जांच सम्पन्न हो चुकी है । प्रकरण में तहसीलदार, बीकानेर के समक्ष वसीयति जांच के दौरान एवम् उपखण्ड न्यायालय बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी प्रथम अपील में तथा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी द्वितीय अपील में वसीयत के सम्बन्ध में आदिनांक कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है तथा पटवारी हल्का नालबड़ी की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि पर अपीलान्ट का ही कब्जा है । अभिलेख एवं विधिक प्रावधान अनुसार प्रकरण में वसीयत की गयी भूमि स्व.नन्दलाल की निजी सम्पत्ति थी, जिन्हें वसीयत करने का विधिक रुप से अधिकार था । अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह द्वितीय अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए तहसीलदार, बीकानेर द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 31.5.16 एवम् उपखण्ड न्यायालय, बीकानेर द्वारा पारित किया गया प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 17.10.16 निरस्त किया जाता है । प्रकरण में तहसीलदार, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट प्रहलाद पुत्र स्व. नन्दलाल के नाम से वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जावे ।

10. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 9.1.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर